## न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

**राजस्व अपील संख्या : 30/2022**

**अपीलान्ट**

1. श्रीमती शान्ति पुत्री नारायणजी
पत्नि श्री आनन्दसिंह परिहार
उम्र 65 वर्ष,
निवासी- परिहारों का बास,
मगरा पूंजला, मण्डोर जोधपुर

**बनाम**

**रेस्पोडेन्टस**

1. श्यामलाल पुत्र नारायण जी
2. अरूण देवड़ा पुत्र ओमप्रकाश
3. राजेश देवड़ा पुत्र ओमप्रकाश
4. अनिता देवड़ा पुत्री ओमप्रकाश
5. यशोदा देवड़ा पत्नी ओमप्रकाश
6. दिनेश पुत्र प्रेमसिंह
7. धीरेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह
8 विक्रमसिंह पुत्र प्रेमसिंह
9 मंजु पुत्री प्रेम सिंह
10 पन्नू पत्नी प्रेमसिंह
11 महेन्द्र पुत्र बाबूलाल
12 हेमा पुत्री बाबूलाल
13 उषा पत्नी अशोक
14 लीला पुत्री अशोक
15 हर्ष पुत्र अशोक
सभी जातियान माली,
निवासीगण जसवंतसागर बांध के पीछे,
उजीर सागर बेरा, नागौर रोड़, मण्डोर, जोधपुर
16 सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 136 ग्राम मण्डोर जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 17.09.1974 को स्वीकृत किया गया।**

उपस्थितिः- 1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री किसनाराम विश्नोई उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित उपस्थित।

### निर्णय

**दिनांकः 29.01.2025**

अपीलान्ट श्रीमती शान्ति पुत्री नारायणजी पत्नि श्री आनन्दसिंह परिहार उम्र 65 वर्ष निवासी परिहारों का बास, मगरा पूंजला मण्डोर जोधपुर की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट श्यामलाल पुत्र नारायणजी जाति माली निवासी जसवन्तसागर बांध के पीछे उजीरसागर बेरा नागौर रोड़ मण्डोर जोधपुर व अन्य के विरूद्ध तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 17.09.1974 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 136 ग्राम मण्डोर को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मण्डोर के खेत खसरा संख्या 90 रकबा 26.11 बीघा किस्म नहरी [illegible] खसरा सं. 90/2 रकबा 7.14 बीघा, खसरा न. 91 रकबा 65.10 बीघा, [illegible] रकबा 18.14 बीघा, खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2025.02.24 10:46:22 IST
Reason: SelfAttested



अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

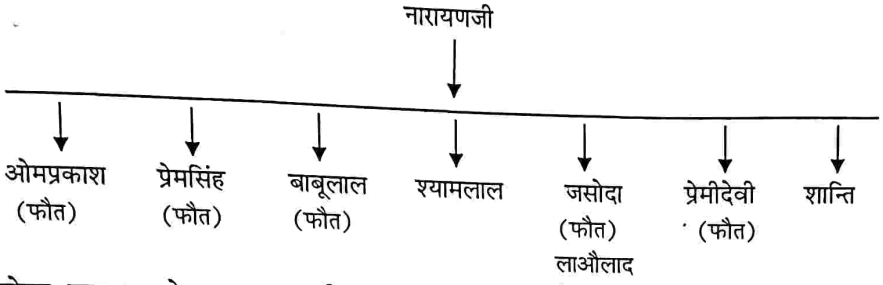

रकबा 107.05 बीघा भूमि अपीलान्ट के पिता स्व. नारायण पुत्र चिमना के नाम से खातेदारी में दर्ज व मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा था। अपीलान्ट के पिता स्व.श्री नारायण के देहान्त के पश्चात फौतेदगी म्युटेशन संख्या 136 भरकर दिनांक 26.08.74 को स्वीकृत किया गया तथा उक्त म्यूटेशन में अपीलान्ट के पिता के 1/2 हिस्से में अपीलान्ट के केवल भाईयों के नाम से भरकर स्वीकृत किया गया तथा अपीलान्ट को भूमि से महरूम रखने के लिए पीछे छोड़ दिया गया। अपीलान्ट के पिता नारायण के परिवार का वटवृक्ष निम्न प्रकार से है:-




उपरोक्त वटवृक्ष के अनुसार अपीलान्ट शांति देवी नारायणजी की जायन्दा पुत्री होने के कारण प्रथम श्रेणी की वारिस है। इस कारण से अपीलान्ट का नाम म्यूटेशन सं. 136 में नियमानुसार दर्ज कर अपीलान्ट के नाम से स्वीकृत किया जाना चाहिए था किन्तु रेस्पोंडेन्ट के द्वारा सरकारी कर्मचारियों से मिली भगत कर अपीलान्ट का नाम पीछे छोड़ दिया गया। जिससे व्यथित होकर ग्राम मण्डोर के उक्त खसरों की भूमि में अपीलान्ट के पिता स्व. नारायण सिंह के देहावसान के पश्चात अपीलान्ट के सगे भाई ओमप्रकाश, प्रेमसिंह, बाबू लाल, श्याम लाल के नाम से म्यूटेशन सं.136 भरकर स्वीकृत किया गया जो आज भी राजस्व रेकर्ड में इन्हीं के नाम से दर्ज होने, उक्त म्यूटेशन सं. 136 स्वीकृत करने से पूर्व स्व. नारायण सिंह के सभी वारिसों के नाम से म्यूटेशन भरकर स्वीकृत नहीं कर केवल भाईयों के नाम से म्यूटेशन भरकर स्वीकृत किया जाने, अपीलान्ट स्व. श्री नारायणसिंह जी की जायन्दा पुत्री, प्रथम श्रेणी की वारिस व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना किसी जांच के केवल भाईयों के नाम से म्यूटेशन भरकर स्वीकृत कर दिया जाने, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा म्यूटेशन भरने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस, सूचना दिये बगैर एक तरफा आदेश पारित करने, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा म्यूटेशन भरने से पूर्व मौके तथा राजस्व रेकॉर्ड की जांच किये बगैर केवल भाईयों के नाम से म्यूटेशन भरकर स्वीकृत करने, रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा अपीलान्ट का हिस्सा पिछले कुछ समय से देना बन्द कर देने पर अपीलान्ट द्वारा हल्का पटवारी से उक्त भूमि की जमाबन्दी प्राप्त करने पर उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण केवल भाईयों के नाम स्वीकृत होने की जानकारी होने आदि आधारों पर अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 17.09.1974 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 136 ग्राम मण्डोर को निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री किशनाराम [illegible] ने लिखित बहस पेश कि जिसमें बताया कि अपीलान्ट द्वारा म्युटेशन संख्या 136 के [illegible] अपील पेश की जो नारायणसिंह पुत्र चीमना के फौत होने के [illegible] से भरा गया है। अपीलान्ट नारायणसिंह की पुत्री है इस कारण से उसका [illegible] भी म्युटेशन में शामिल

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2025.02.24 10:46:22 IST
Reason: SelfAttested



अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

किया जाना चाहिए था क्यों कि अपीलान्ट नारायणसिंह की प्रथम श्रेणी की वारिस है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपीलान्ट का जन्म से ही हिस्सा तय हो जाने से अपीलान्ट का नाम फौतेदगी म्युटेशन में लिखा जाना चाहिए था जो कि नहीं लिखा जाने से अपील पेश की गई है। म्युटेशन संख्या 136 स्वीकृत करते समय अपीलान्ट को न तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया। चूंकि अपीलाधीन आदेश प्रारम्भ से ही एब-इनिशियों-वाईड था इस कारण से इस प्रकार के आदेश को किसी समय चैलेन्ज किया जा सकता है। अपीलान्ट नारायणसिंह की जायन्दा पुत्री है इस संबंध में सबूत के तौर पर आयकर का स्थाई लेखा कार्ड पेश किया गया है। अतः लिखित बहस पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 17.09.1974 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 136 ग्राम मण्डोर को निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया है। इस संबंध में अपीलान्ट अधिवक्ता की ओर से राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का प्रकरण संख्या 1270/2019 व 5188/2023 (2024(2) RRT 1246) अनवान महेश कुमार बनाम कौशल्या देवी निर्णय दिनांक 15.05.2024 को न्यायिक दृष्टान्त के रूप में प्रस्तुत किया।

रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें बताया कि म्युटेशन संख्या 136 वर्ष 1974 में भरा गया एवं वर्ष 1980 से ही अपीलान्ट को उक्त फौतेदगी म्युटेशन की जानकारी थी। वर्ष 1980 में नारायण जी की पुत्रियां प्रेमी देवी, शांति देवी व जसोदा देवी ने अपने भाई रेस्पोडेंट श्यामलाल से नारायण जी की भूमि के संबंध में बातचीत की तो रेस्पोडेंट ने तीनों पुत्रियों को यह स्पष्ट रूप से कह दिया था कि पिता जी को जो भी देना था, वह शादी के समय दे दिया है तथा फौतेदगी म्युटेशन वर्ष 1974 में हम भाईयों के नाम से स्वीकृत हो चुका है, इसके बावजूद भी किसी भी बहन ने उक्त म्युटेशन के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की, बल्कि प्रेमीदेवी के वारिसान ने यह लिखकर भी दिया है कि वादग्रस्त भूमि में उनका कोई हक, हिस्सा व अधिकार नहीं बनता है एवं एक पुत्री जसोदा ला-औलाद फौत हो चुकी है। म्युटेशन की जानकारी अपीलान्ट को शुरू से ही रही है तथा उक्त म्युटेशन की अपील लगभग 48 वर्ष की देरी से प्रस्तुत की गई है, जबकि मियाद सिर्फ 30 दिन की है। माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 5 मियाद अधिनियम में देरी को माफ करने के लिए जो कारण दिये जाते है वे विश्वास किये जाने योग्य होने चाहिए तथा मशीनरी की तरह देरी को कण्डोन नहीं किया जा सकता वरना मियाद के बंधन का कोई मतलब हीं नही रह जायेगा। मियाद का प्रावधान इसलिए ही रखा गया है कि किसी भी विवाद को लम्बे समय बाद वापिस पैदा नहीं किया जा सके, इसलिए ही कानून में मियाद का बंधन रखा गया है। 48 वर्ष की देरी को माफ करने का तात्पर्य मियाद के प्रावधान को महत्वहीन कर देना है। अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी यह अंकित नहीं किया है कि उसको म्युटेशन की जानकारी कब हुई। यह तथ्य भी मानने योग्य नहीं है कि किसी का भी राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज न हो और उसको 48 साल तक जानकारी न हो, जबकि अपीलान्ट मगरा पूंजला मण्डोर में ही रहती है। अपी[illegible] को कण्डोन करने के लिए जो कहानी बनाई है वह भी विश्[illegible] दे रहे थे एवं बाद में हिस्सा बंद कर दिया तो वह पटवारी के पास [illegible] अपीलान्ट को वादग्रस्त भूमि कि फसल में कभी भी किसी प्रकार का हिस्सा दिया ही नहीं गया तो बंद करने का प्रश्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2025.02.24 10:46:22 IST
Reason: SelfAttested



अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

हीं पैदा नहीं होता है इसलिए देरी के संबंध में जो तथ्य बताये गये है व विश्वास किये जाने योग्य नहीं है। बहनों के लिए भाईयों द्वारा समय समय पर मायरा एवं शादी ब्याह में खर्चा किया जाता है। यदि ऐसा कोई हक अपीलान्ट द्वारा पहले क्लेम किया जाता तो समय समय पर भाई खर्चा करते या नहीं करते इसलिए भी अपीलान्ट न्यायालय के समक्ष क्लिन हैण्ड से नहीं आयी है तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने की दोषी है, इसलिए इस प्रकरण में 48 वर्ष की देरी को कतई माफ नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कैसे भी अधिकार हो कब्जा प्राप्त करने के लिए भी मात्र 12 साल की मियाद ही है। कोई सही मालिक भी 12 वर्ष की अवधि में कब्जे का वाद प्रस्तुत नहीं करता है तो वह वाद भी मियाद बाहर हो जाता है। ऐसी स्थिति में 48 वर्ष की देरी को कण्डोन करने का किसी प्रकार उचित न्यायसंगत व विश्वास किये जाने योग्य कारण नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की यह अपील मात्र मियाद के बिन्दू पर हीं खारिज किये जाने योग्य होने से जवाब प्रार्थना पत्र का प्रस्तुत कर अपीलान्ट के धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए अपील को मियाद बाहर मानते हुए खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि ग्राम मण्डोर के उक्त खसरान की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता स्व. नारायण पुत्र चिमना के नाम से खातेदारी में दर्ज व मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता स्व.श्री नारायण के देहान्त के पश्चात फौतेदगी म्युटेशन संख्या 136 भरकर दिनांक 26.08.74 को स्वीकृत किया गया तथा उक्त म्यूटेशन पूर्णतया सही व विधि सम्मत होने के कारण अपीलान्ट की अपील खारिज करने व तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 17.09.1974 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 136 ग्राम मण्डोर को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्षकारान की बहस व अपीलान्ट की लिखित बहस पर मनन विचारण करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निर्णय पर पहुंचते है कि सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में यह बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट का हिस्सा नियमानुसार दिया जा रहा था तथा पिछले कुछ समय से हिस्सा देना बंद कर दिया जाने पर अपीलान्ट द्वारा अपने पुत्र से पटवारी हल्का से उपरोक्त भूमि की जमाबंदी की प्रति मंगवाने पर अपीलान्ट को जानकारी हुई कि म्युटेशन संख्या 136 केवल भाईयों के नाम से ही भरकर स्वीकृत किया गया है एवं उसमें अपीलान्ट का नाम नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें बताया कि म्युटेशन संख्या 136 वर्ष 1974 में भरा गया एवं वर्ष 1980 से ही अपीलान्ट को उक्त फौतेदगी म्युटेशन की जानकारी है। वर्ष 1980 में नारायण जी की पुत्रियां प्रेमी देवी, शांति देवी व जसोदा देवी ने अपने भाई रेस्पोडेंट संख्या 1 श्यामलाल से नारायण जी की भूमि के संबंध में बातचीत करने पर रेस्पोडेंट संख्या 1 ने तीनों बहनों को बता दिया था कि फौतेदगी म्युटेशन [illegible] स्वीकृत हो चुका है। इसके अलावा नारायण जी की एक पुत्री प्रेमी देवी [illegible] ने लिखकर भी दिया है कि वादग्रस्त भूमि में उनका कोई हक, [illegible] जसोदा देवी ला–औलाद फौत हो चुकी है। [illegible] 48 वर्ष की देरी से प्रस्तुत की गई है, जबकि मियाद सिर्फ 30 [illegible] भी अंकित किया कि देरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2025.02.24 10:46:22 IST
Reason: SelfAttested



अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

को तभी माफ किया जा सकता है, जब देरी के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक व विश्वास किये जाने योग्य हो। यदि बिना किसी उचित आधार के 48 वर्ष की देरी को माफ किया जाता है तो मियाद का प्रावधान ही महत्वहीन हो जायेगा तथा इस तरह देरी को कण्डोन नहीं किया जा सकता है। यह तथ्य मानने योग्य एवं विश्वास किये जाने योग्य नहीं है कि किसी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं हो और उसे 48 वर्ष तक उसकी जानकारी न हो। इस प्रकार 48 वर्ष की देरी को माफ करने के लिए उचित, न्यायसंगत एवं विश्वास किये जाने योग्य कोई ठोस कारण नहीं होने के कारण अपील को मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किया जावे। इस संबंध में उनके द्वारा उक्तानुसार न्यायिक दृष्टांत भी प्रस्तुत किये गये तथा बहस के समय एक पुत्री प्रेमी देवी के वारिसान का हकतर्कनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

उक्त नामान्तरकरण संख्या 136 ग्राम मण्डोर वर्ष 1974 में स्वीकृत किया गया है एवं यह अपील वर्ष 2022 में यानि 48 वर्ष की देरी से प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट का यह कथन मानने योग्य नहीं है कि उसका नाम राजस्व रेकर्ड में न होते हुए भी उसे 48 वर्ष तक इसकी जानकारी नहीं हुई हो कि उसके नाम का नामान्तरकरण नहीं भरा गया है। देरी को माफ करने के लिए जो कारण बताये गये है, वे उचित, न्यायसंगत, संतोषजनक व विश्वास किये जाने योग्य नहीं है। अपीलान्ट ने जानबूझकर समयावधि में अपील प्रस्तुत न कर अत्यधिक देरी से यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलान्ट की एक बहिन ला-औलाद फौत हो चुकी है एवं दूसरी बहिन के वारिसान ने भाईयों के पक्ष में जो नामान्तरकरण दर्ज है, उसका समर्थन करते हुए हकतर्कनामा भी लिखा है। इस प्रकार प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपील पेश करने में हुई देरी कण्डोन किये जाने योग्य नहीं होने के कारण अपीलान्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है एवं ग्राम मण्डोर की उक्त खसरान की भूमि पर तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 17.09.1974 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 136 ग्राम मण्डोर का जो आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया सही व विधि सम्मत होने के कारण अपील को मियाद बाहर मानकर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 17.09.1974 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 136 ग्राम मण्डोर को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2025.02.24 10:46:22 IST
Reason: SelfAttested